कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प तथा व्यापार चिह्न,

पेटेंट कार्यालय
बौद्धिक सम्पदा कार्यालय
सीपी-2, सेक्टर-V, साल्ट लेक, कोलकाता-700091.

दावात्याग

यह जानकारी पुस्तिका डिजाइन कार्यालय, कोलकाता में डिजाइन पंजीकरण प्रणाली के संभाव्य उपयोक्ताओं को मूलभूत जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस प्रलेख में प्रदत्त जानकारी परिपूर्ण नहीं हैं एवं इसे डिजाइन अधिनियम, 2000 एवं नियम, 2001, 2008 में यथा संशोधित के साथ जोड़कर पढ़ा जाए। इस प्रलेख में समय-सीमा, प्रक्रिया, इत्यादि संबंधी मार्गदर्शन कर्मचारियों एवं आम जनता के लिए हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में डिजाइन अधिनियम, 2000 एवं डिजाइन नियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे। समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेश इस प्रलेख के दिशानिर्देशों पर अग्रता हासिल करेंगे।

डिजाइन क्या है?

डिजाइन से किसी वस्तु पर प्रयुक्त आकृति, विन्यास, पैटर्न, अलंकरण और रेखा या रंगों का विन्यास, चाहे वह द्विवैमिक या त्रिवैमिक या दोनों हो, अभिप्रेत है। इसे किसी औद्योगिक प्रक्रिया या साधनों (शारीरिक, यांत्रिक या रासायनिक) द्वारा पृथक रूप से या संयुक्त प्रक्रिया द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है एवं परिफलित वस्तु के रूप में आँखें को आकर्षित करता है एवं इसी द्वारा उसका मूल्यांकन होता है। डिजाइन के अंतर्गत संनिर्माण का ऐसा कोई ढंग या सिद्धांत या कुछ भी नहीं आता जो सिर्फ यांत्रिक युक्ति हो। इसमें कोई व्यापार चिह्न या कलात्मक कार्य भी शामिल नहीं है।

डिजाइन पंजीकरण के लाभ

डिजाइन का पंजीकरण पंजीकृत स्वत्वधारी को, उस वर्ग में जिसमें डिजाइन का पंजीकरण किया गया है, वस्तु पर डिजाइन का पंजीकरण किया गया है, वस्तु पर डिजाइन की प्रयुक्ति का अनन्य अधिकार प्रदान करता है।

डिजाइन का पंजीकृत स्वत्वधारी अपने बौद्धिक सम्पदा पर बेहतर संरक्षा पाने का हकदार है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा उसके अधिकार का अतिलंघन होता है तो वह इसके लिए मुकदमा कर सकता है। वह अपने डिजाइन का विधिक सम्पदा के रूप में प्रतिफल या रॉयल्टी के लिए लाइसेंस दे सकता है या बेच सकता है। प्रारंभ में पंजीकरण इस अधिकार को पंजीकरण की तिथि से दस वर्षों तक प्रदान करती है। इसे पुन: 5 वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकता है। यदि प्रारंभिक पंजीकरण की अवधि के दौरान ही पंजीकरण की अगली अवधि के लिए विस्तार हेतु शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो यह अधिकार समाप्त हो जाएगा। व्यपगत डिजाइन के प्रत्यावर्तन हेतु प्रावधान है यदि इसके लिए आवेदन प्राविहित तरीके से समाप्ति की तिथि के एक वर्ष के भीतर फाइल किया जाए।

पंजीकरण हेतु अनिवार्य आवश्यकताएँ

डिजाइन को :

- नया एवं मूल होना चाहिए,
- फाइलिंग की तिथि या जहाँ लागू हो, पंजीकरण हेतु आवेदन की प्रायिकता तिथि से पहले सार्वजनिक तौर पर खुलासा या पूर्व रूप में प्रकाशन या उपयोग नहीं किया जाए,
- ज्ञात डिजाइन या उनके संयुक्त रूपों से विशिष्ट तौर पर भिन्न लगे,
- कलंकात्मक या अश्लील सामग्री समाविष्ट न हो,

- वह केवल एक यांत्रिक प्रयुक्ति मात्र ना हो,
- वस्तु पर प्रयुक्त हो एवं आँखों पर प्रभाव छोड़े,
- सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विरूद्ध न हो।

डिजाइन की परिधि के अपवर्जन

वैसे डिजाइन जो प्राथमिक तौर पर साहित्यिक या कलात्मक प्रकृति के हो, डिजाइन अधिनियम के तहत संरक्षित नहीं किए जाते। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- बुक, जेकेट्स, कैलेन्डर, प्रमाण-पत्र फार्म एवं अन्य प्रलेख, वस्त्र तैयारी के पैटर्न, ग्रिटिंग कार्ड, लिफलेट, मैप एवं प्लान, कार्ड, पोस्टकार्ड, स्टांप, ट्रांसफर एवं मेडल।
- लेबल, टोकन, कार्ड, कार्टून
- किसी वस्तु के विनिर्माण का सिद्धांत या तरीका
- यांत्रिक प्रयुक्ति मात्र
- भवन एवं संरचना
- वस्तु के भाग जिनका पृथक रूप से विनिर्माण या विक्रय न हो।
- व्यापार के सामान्य रूप में प्रयुक्त विभिन्नता
- सामूहिक अवयवों में महज कार्यगत परिवर्तन
- वस्तु के आकार में परिवर्तन मात्र
- झंडा, संप्रतिक एवं किसी राष्ट्र का चिह्न
- एकीकृत परिपथ का अभिकल्प अभिविन्यास

डिजाइन के पंजीकरण के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

कोई व्यक्ति या विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशी पृथक या संयुक्त रूप से डिजाइन के पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत फर्म साझेदारी एवं सहाकरी निकाय आते हैं। कोई भी आवेदन अभिकर्त्ता के माध्यम से भी दाखिल किया जा सकता है एवं ऐसी स्थिति में मुख्तारनामा दाखिल किया जाएगा।

डिजाइन के पंजीकरण में कौन सहायक हो सकता है?

डिजाइन कार्यालय से संपर्क इस बात को जानने के लिए किया जा सकता है कि पहले से डिजाइन पंजीकृत हुआ है या नहीं। आवेदन की तैयारी या तो आवेदक द्वारा या अटॉर्नी की व्यावसायिक सहायता से की जा सकती है। पेटेंट अटॉर्नी की सूची पेटेंट कार्यालय द्वारा अनुरक्षित पेटेंट अभिकर्त्ताओं के रजिस्टर में और www.ipindia.nic.in पर उपलब्ध है।

यह पता करना कि क्या डिजाइन पहले से पंजीकृत है।	यदि अन्वेषण हेतु आवेदन किया जाता है तो डिजाइन कार्यालय सहायता कर सकता है या खुद आवेदक डिजाइन रजिस्टर का निरीक्षण कर सकता है। किसी डिजाइन के संदर्भ में कोई पंजीकरण पहले से विद्यमान है या नहीं, इसका अन्वेषण डिजाइन कार्यालय द्वारा करवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किया जाना चाहिए:- 1. यदि पंजीकरण संख्या ज्ञात हो तो प्राविहित शुल्क 500/- के साथ फार्म सं.6. 2. यदि वस्तु का निरूपण या नमूना (दो प्रतियों में) फाईल किया जाता है तो प्राविहित शुल्क रू.1,000/- के साथ फार्म सं. 7. नोट: किसी आवेदन की फाइलिंग के पहले, आवेदक फार्म 7 पर अनुरोध दाखिल कर यह जानकारी प्राप्त कर सकता है कि क्या डिजाइन पहले से ही पंजीकृत है या नहीं।
कन्वेंशन आवेदनों की स्थिति में प्रायिकता तिथि	यदि कोई व्यक्ति या उसका विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशी, अकेले या किसी दूसरे साथ संयुक्त रूप से कन्वेंशन देशों में या देशों के समूह में या वैसे देशों में जो अंतर-शासकीय संस्थाओं के सदस्य हैं, डिजाइन की संरक्षा हेतु आवेदन करता है तो वह उक्त डिजाइन के पंजीकरण पर भारत में प्रायिकता तिथि के दावे का हकदार है। यह तिथि उपरोक्त किसी भी देश में आवेदन के फाइलिंग की तिथि होती है। हालाँकि भारत में आवेदन की फाइलिंग उन देशों में आवेदन की तिथि के छः महीने के भीतर किया जाना चाहिए।
पंजीकृत डिजाइन का निरस्तीकरण	डिजाइन के पंजीकरण के बाद किसी भी समय कोई भी इच्छुक व्यक्ति नियंत्रक के पास पंजीकृत डिजाइन के निरस्तीकरण हेतु याचिका दायर कर सकता है। निम्नलिखित आधारों पर निरस्तीकरण हेतु आवेदन स्वीकार्य हैं- • कि डिजाइन पहले से ही भारत में पंजीकृत हैं या • कि यह भारत में या अन्य किसी देश में पंजीकरण की तिथि के पहले ही प्रकाशित की गई हों;या • कि डिजाइन नया या मूल नहीं है; या • कि डिजाइन इस अधिनियम के तहत पंजीकरण योग्य नहीं है। • यह धारा 2 (घ) के अधीन यथा परिभाषित डिजाइन नहीं है।
आवेदन के अधिग्रहण हेतु वैधानिक समय?	डिजाइन पंजीकरण हेतु आवेदन उसे दाखिल करने की तारीख से छः महीने के भीतर स्वीकृत होनी चाहिए जो आवेदक द्वारा

विहित शुल्क के साथ फार्म 18 दाखिल करने के बाद तीन महीने तक विस्तारित की जा सकती है।

डिजाइन रजिस्टर का निरीक्षण

कोई व्यक्ति नियंत्रक से अनुरोध कर विहित शुल्क के साथ डिजाइन रजिस्टर का निरीक्षण कर सकता है। इससे आवेदक को यह जानने में सहायता होगी कि डिजाइन पहले पंजीकृत हुआ है अथवा नहीं।

शुल्क

डिजाइन के पंजीकरण एवं नवीकरण के लिए शुल्क निम्नलिखित है

- डिजाइन के पंजीकरण हेतु आवेदन -रू.1,000
- प्रतिलिप्यधिकार में विस्तार -रू.2,000

(शुल्क की विस्तृत अनुसूची पृ. 20-21 पर उपलब्ध है)

आवेदन प्रकिया

ऐसे व्यक्ति द्वारा जो डिजाइन का पंजीकरण कराना चाहता है, निम्नलिखित दस्तावेज डिजाइन कार्यालय, बौद्धिक सम्पदा कार्यालय, सीपी-2, सेक्टर-V, साल्ट लेक, कोलकाता-700091. में या दिल्ली, मुम्बई एवं चेन्नई स्थित इसके शाखा कार्यालयों में जमा करना आवश्यक है। शाखा कार्यालयों द्वारा प्राप्त आवेदनों को प्रक्रमण एवं अग्रसारण हेतु प्रधान कार्यालय भेजा जाता है।

I. प्राविहित शुल्क के साथ विधिवत् आवेदन (फार्म-1 पर) जिसमें पूरा नाम, सेवार्थ पता, राष्ट्रीयता, वस्तु का नाम, वर्गीकरण संख्या, भारत में सेवार्थ पता इत्यादि बताया गया हो। आवेदन आवेदक या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर होगा।

II. वस्तु का निरूपण (33 से.मी.X20.5से.मी. आकार में उपयुक्त हाशिए के साथ चार प्रतियों में) चित्र आरेख/स्केच को स्पष्ट रूप से डिजाइन की विशेषताओं को अलग-अलग दृष्टि से एवं इसकी अवस्थिति (उदाहरण-अग्र या पार्श्व भाग) दर्शाना चाहिए।

III. यांत्रिक कार्य, व्यापार चिह्न, शब्द, अक्षर, संख्या के संबंध में नवीनता एवं दावात्याग (यदि हों) का विवरण प्रत्येक निरूपक पृष्ठों पर पृष्ठांकित होना चाहिए जो विधिवत् तिथि सहित हस्ताक्षरित हो।
(कृपया निरूपण पत्रों की तैयारी के लिए पृष्ठ 11-12 पर दिशा-निर्देश देखें)

IV. मुख्तारनामा (यदि आवश्यक हो)

V. डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 44 के अधीन कन्वेंशन आवेदन की स्थिति में प्रायिकता दस्तावेज (यदि कोई हो)।

(पेरिस कन्वेंशन व विश्व व्यापार संगठन के तहत देशों के नाम पृष्ठ 17 से 18 पर देखे जा सकता है।)

डिजाइन के पंजीकरण की प्रक्रिया

कार्यालय में विहित शुल्क एवं चार प्रतियों में डिजाइन के निरूपण के साथ आवेदन की प्राप्ति के बाद डिजाइन कार्यालय में उस पर संख्या एवं तिथि दर्ज की जाती है एवं जाँच किया जाता है।

आवेदन को प्रदत्त संख्या प्राप्ति क्रम के अनुसार होती है एवं आवेदन पर दर्ज तिथि कार्यालय में वास्तविक प्राप्ति की तिथि होती है।

नोट: वैसे आवेदन पर जिसके साथ विहित शुल्क या डिजाइन के निरूपण की प्रतियाँ न हो, संख्या एवं तिथि तब तक दर्ज नहीं की जाएगी तब तक शुल्क या डिजाइन के निरूपण की प्रतियाँ प्राप्त न हो जाएँ। ऐसे आवेदनों के लिए नियत तिथि सभी दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि होती है न कि कार्यालय में पहले प्राप्त आवेदन की तिथि।

जाँच के समय आवेदन में किसी भी तरह की त्रुटि के संबंध में सूचना आवेदक या अभिकर्त्ता को सेवार्थ पते पर दी जाती है। त्रुटियों का परिमार्जन होना चाहिए एवं आवेदन की अधिकारिक तिथि के छः माह के भीतर अभिग्रहण हेतु डिजाइन कार्यालय में पुनः आवेदन जमा किया जाना चाहिए।

अभिग्रहण एवं अधिसूचना : सभी कमियों के परिशोधन के बाद आवेदन का अभिग्रहण होता है। तत्पश्चात् इसे पेटेंट कार्यालय जर्नल में प्रत्येक शुक्रवार को अधिसूचित किया जाता है।

अस्वीकृति : यदि त्रुटियों का परिशोधन नियंत्रक की अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता है तो आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में नियंत्रक यह निर्णय करेगा कि आवेदन स्वीकार किया जाए या नहीं।

नियंत्रक के निर्णय की सूचना आवेदक को एवं उसके अभिकर्त्ता को लिखित रूप में निर्णय के कारणों के साथ दी जाएगी।

अपील : डिजाइन का पंजीकरण अस्वीकृत करने के नियंत्रक के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर

सकता है। यह अपील नियंत्रक के निर्णय के तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

परित्याग : पंजीकरण को प्रभावी बनाने के लिए यदि आवेदक की ओर से किसी आवेदन में हुई लापरवाही या चूक छः महीने के भीतर दूर नहीं किया जाता है तो उसे परित्यक्त मान लिया जाएगा। ऐसे आवेदन का प्रवर्तन नहीं किया जाएगा एवं डिजाइन कार्यालय द्वारा इस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अधिनियम के अनुसार डिजाइन के निरूपण में नवीनता के निम्नलिखित विवरण दर्ज होने चाहिए:

नवीनता के विवरण का मानक प्ररूप

"नवीनता वस्तु के यथा चित्रित आकार एवं विन्यास में विद्यमान रहती है।"
"नवीनता वस्तु के यथा चित्रित "क" एवं "ख" भाग में विद्यमान रहती है।"
"नवीनता वस्तु के यथ चित्रित अलंकरण या सतही पैटर्न में विद्यमान होती है।"
उदाहरण: यथा चित्रित कार्पेट के पुष्पीय अलंकरण में नवीनता विद्यमान होती है।

दावात्याग के प्ररूप

यदि वस्तु पर अलंकरण पैटर्न को व्यापार चिह्न के साथ फर्क करने में असमंजस की स्थिति हो तो दावात्याग निम्नलिखित तरीके से तैयार किया जा सकता है:

"निरूपण में जैसा प्रदर्शित है उस पर इस पंजीकरण के द्वारा व्यापार चिह्न के रूप में उपयोग हेतु किसी भी प्रकार के अधिकार का कोई दावा नहीं किया जाता है।"

यदि निरूपण वस्तु के किसी यांत्रिक क्रिया का संकेत करता हो तो दावात्याग निम्नलिखित रूप में अंत: स्थापित किया जा सकता है:-

इस पंजीकरण के द्वारा किसी क्रियाविधि की यांत्रिक या अन्य क्रिया जो हो, के संबंध में या विनिर्माण के किसी ढंग या सिद्धांत के संबंध में कोई दावा नहीं किया जाता है।

यदि निरूपण में शब्द, अक्षर, संख्या इत्यादि हो तो दावात्याग निम्नलिखित तरीके से अंत: स्थापित किया जा सकता है:-

इस पंजीकरण के द्वारा डिजाइन में परिलक्षित संख्याओं, फ्लैग, क्राउन इत्यादि के अनन्य उपयोग के किसी अधिकार

का दावा नहीं किया जाता है।

निरूपण पत्र तैयार करने हेतु दिशा निर्देश

पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ चार प्रतियों में फाइल किया जाने वाला वस्तु का निरूपण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। निरूपण का अर्थ उस वस्तु का सटीक निरूपण जिस पर डिजाइन हेतु आवेदन किया गया है। इसकी तैयारी टिकाऊ ए-4 कागज पर किया जाना चाहिए न कि कार्ड बोर्ड या किसी अन्य कागज पर।

निरूपण तैयार करने वक्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

- वस्तु को विलगन में दर्शाया जाना चाहिए एवं डिजाइन की विशेषताओं को स्पष्ट एवं सटीक रूप से द्रष्टव्य होना चाहिए।
- चित्र आरेख में दिखाए गए वस्तु को आवेदन पत्र दर्ज वस्तु के नाम के अनुरूप होना चाहिए। वस्तु का नाम व्यापार जगत में प्रचालित नाम होना चाहिए।
- निरूपण पत्र में हाशिया सभी ओर से 1.5" होना चाहिए।
- वस्तु पर प्रयुक्त डिजाइन की विशेषताओं को ब्यौरे को देखने के लिए दर्शाए चित्र को समुचित माप का होना चाहिए।
- चित्र को कागज के शीर्ष और तल की ओर उर्ध्वाधर स्थिति में दर्शाया जाना चाहिए।
- आवेदक का नाम कागज की बाँयी ओर शाीर्ष पर दर्ज होना चाहिए।
- पृष्ठों की कुल संख्या एवं पृष्ठ संख्या के शीर्ष पर दाँयी ओर दर्ज होना चाहिए।
- तल पर दाँयी ओर आवेदक/अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम दर्ज होना चाहिए।
- वस्तु के जिस विशिष्ट भाग में नवीनता है उसे दिखलाने के अलावा कोई भी वर्णनात्मक तथ्य या संदर्भ पत्र/संख्या संलग्न नहीं होना चाहिए।
- निरूपण पृष्ठ पर वस्तु को पूरी तरह दर्शाने के लिए एवं डिजाइन के वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट देखने के लिए समुचित संख्या में दृश्य समाविष्ट किया जाना चाहिए।
- निरूपण पृष्ठ पर खंडित चित्र समाविष्ट नहीं किया जाना चाहिए।
- निरूपण पृष्ठ पर कोई भी विमीय या अभियांत्रिक संकेत

का समावेश नहीं किया जाना चाहिए। निरूपण की वस्तु को अभियांत्रिक चित्र-आरेख नहीं समझा जाना चाहिए।

- व्यापार चिह्न, अक्षर, संख्या, इत्यादि, जो डिजाइन की आवश्यक विशेषता नहीं हैं, को नहीं शामिल किया जाना चाहिए। हालाँकि यदि यह निरूपित वस्तु का अभिन्न अंग है तो इस बाबत दावात्याग देना चाहिए।
- फोटोग्राफ को सेलोफेन कागजों से ढँका होना चाहिए जिससे यह पृष्ठों पर न सटे।
- चित्र स्वच्छ होना चाहिए एवं इसे तरीके से तैयार करना चाहिए कि बिम्ब पर साफ छवि बन सके एवं जिसकी छायाप्रति कराई जा सके।
- मूल निरूपण पृष्ठ की स्वच्छ छायाप्रति अन्य प्रतियों के लिए फाइल किया जा सकता है जबकि मूल निरूपण का फोटोग्राफ फाइल न किया गया हो।
- निरूपण पृष्ठ पर कोई भी बाह्य पदार्थ या पृष्ठभूमि आलंबन सतह, छाया, ईंट की दिवार, पेड़, इत्यादि नहीं दिखना चाहिए।
- तैयार वस्तु का जो भाग न दिखाई पड़ता हो उसे नहीं दर्शाना चाहिए। खंडित दृश्य देने से बचना चाहिए।
- किसी एक सेट को निरूपति करने के लिए पूरे सेट को जरूरी सभी कोणों से स्वच्छता से निरूपित किया जाना चाहिए।
- संदर्श दृष्टि सबसे उपयुक्त है। विषम कोण दृष्टि, जो आकार को विकृति करता है, दाखिल नहीं किया जाना चाहिए।
- नवीनता का संक्षिप्त विवरण डिजाइन की विशेषताओं का दावा, जो नया एवं मूल हो, को निरूपण पृष्ठ के प्रत्येक सेट में दर्ज किया जाना आवश्यक है। डिजाइन की विशेषताओं के विवरण का समावेश नहीं करना चाहिए।
- यदि निरूपण में कोई अन्य तथ्य है जो डिजाइन की विशेषता(ओं) नहीं है, तो निरूपण पृष्ठ के प्रत्येक सेट में दावात्याग अपेक्षानुसार दर्ज करना आवश्यक है।

वर्गों में डिजाइन का वर्गीकरण	व्यवस्थित पंजीकरण प्रदान करने के लिए डिजाइनों का पृथक वर्गों में वर्गीकरण आवश्यक है। लोकार्नो समझौता के अनुसार डिजाइन नियम, 2001और (संशोधित) नियम, 2008 में यथा वर्णित औद्योगिक डिजाइनों का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण प्रदान किया गया है। माल का वर्गीकरण उसके प्रयोजन के आधार पर किया गया है। विभिन्न वर्गों के अधिकतर वर्ग पुन: उप-वर्गों में विभाजित है। ये वर्ग एवं उपवर्ग मुख्यत: प्रयोजनोन्मुख हैं। कुछ विशिष्ट मामलों में, वर्गीकरण हेतु आवेदन वस्तु के नाम के साथ उसके प्रयोजन को भी दर्ज करना आवश्यक है। सामान्यत: वस्तु का नाम ऐसा होना चाहिए जो व्यापार या उद्योग जगत में सामान्य/जाना-पहचाना हो। आवेदन में दर्ज वस्तु के नाम को दाखिल वस्तु के निरूपण के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण: यदि वस्तु "कुर्सी" या सोफा एवं "बेड" से संबद्ध हो तो तदनुरूप नाम दिया जाना चाहिए एवं इसका वर्गीकरण वर्ग 06 एव उपवर्ग-01 में किया जाना चाहिए जहाँ इसका उल्लेख "पलंग और चादरें" के रूप में किया गया है क्योंकि इसे प्रयोजनोन्मुख तरीके से वर्गीकृत किया गया है। *(लोकार्नो वर्गीकरण का ब्यौरा पृष्ठ 22-23 पर देखा जा सकता है)*

(निरूपण पृष्ठ का नमूना)

आवेदक का नाम **पृष्ठों की संख्या-1**

XYZ PVT. LTD. Co. **पृष्ठ संख्या-1**

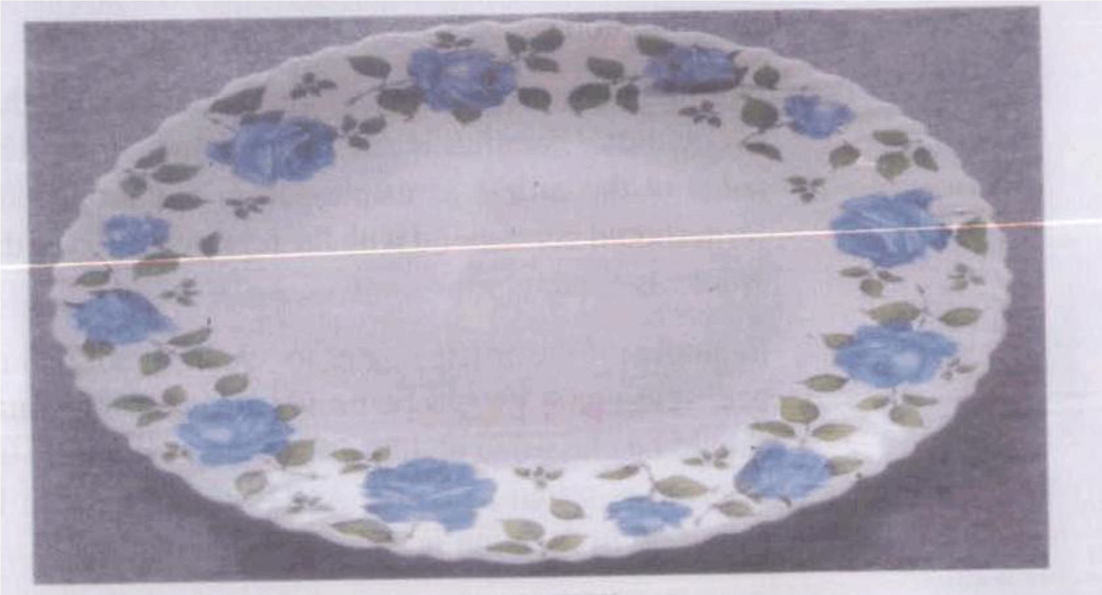

[TOP VIEW]

नवीनता, इस “बर्तन” के यथा प्रदर्शित सतह विन्यास में समाहित है।
किसी यांत्रिक या उस यंत्र के किसी अन्य कार्य के संदर्भ में अथवा इस वस्तु के निर्माण के किसी तरीके या सिद्धांत के संदर्भ में इस पंजीकरण के आधार पर कोई दावा नहीं किया गया है।
निरूपन में यथा प्रस्तुत शब्दों, अक्षरों, रंग, रंग संयोजन या व्यापार चिह्न के अनन्य उपयोग के किसी अधिकार का दावा इस पंजीकरण के आधार पर नहीं किया गया है।

तारीखः

आवेदक/अभिकर्ता का हस्ताक्षर
(हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

(निरूपण पृष्ठ का नमूना)

आवेदक का नाम **पृष्ठों की संख्या-1**

XYZ PVT. LTD. Co. **पृष्ठ संख्या-1**

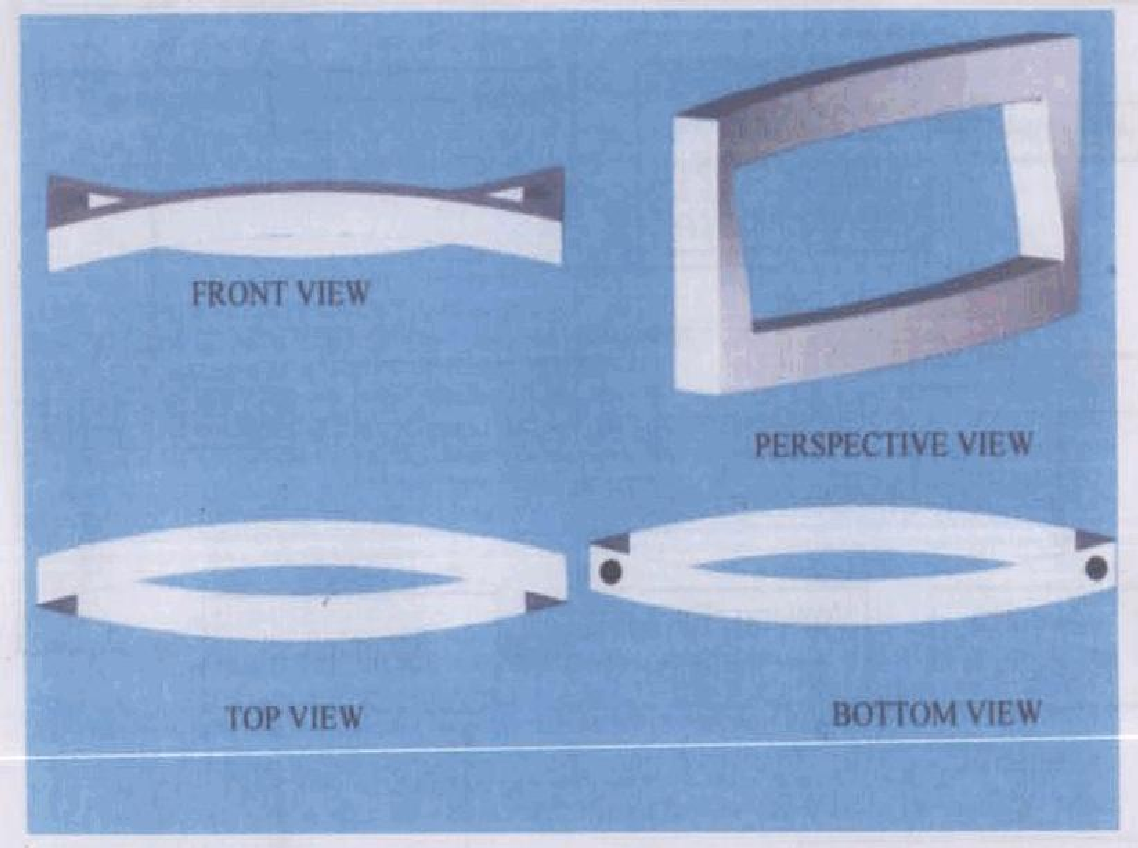

नवीनता, इस “हैन्डल” के यथा प्रदर्शित आकार एवं बनावट में समाहित है।

किसी यांत्रिक या उस यंत्र के किसी अन्य कार्य के संदर्भ में अथवा इस वस्तु के निर्माण के किसी तरीके या सिद्धांत के संदर्भ में इस पंजीकरण के आधार पर कोई दावा नहीं किया गया है।

निरूपन में यथा प्रस्तुत शब्दों, अक्षरों, रंग, रंग संयोजन या व्यापार चिह्न के अनन्य उपयोग के किसी अधिकार का दावा इस पंजीकरण के आधार पर नहीं किया गया है।

तारीख: आवेदक/अभिकर्ता का हस्ताक्षर

(हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

पंजीकरण होने तक डिजाइन आवेदन के विभिन्न चरण

अभिग्रहण तक डिजाइन आवेदन के विभिन्न चरण

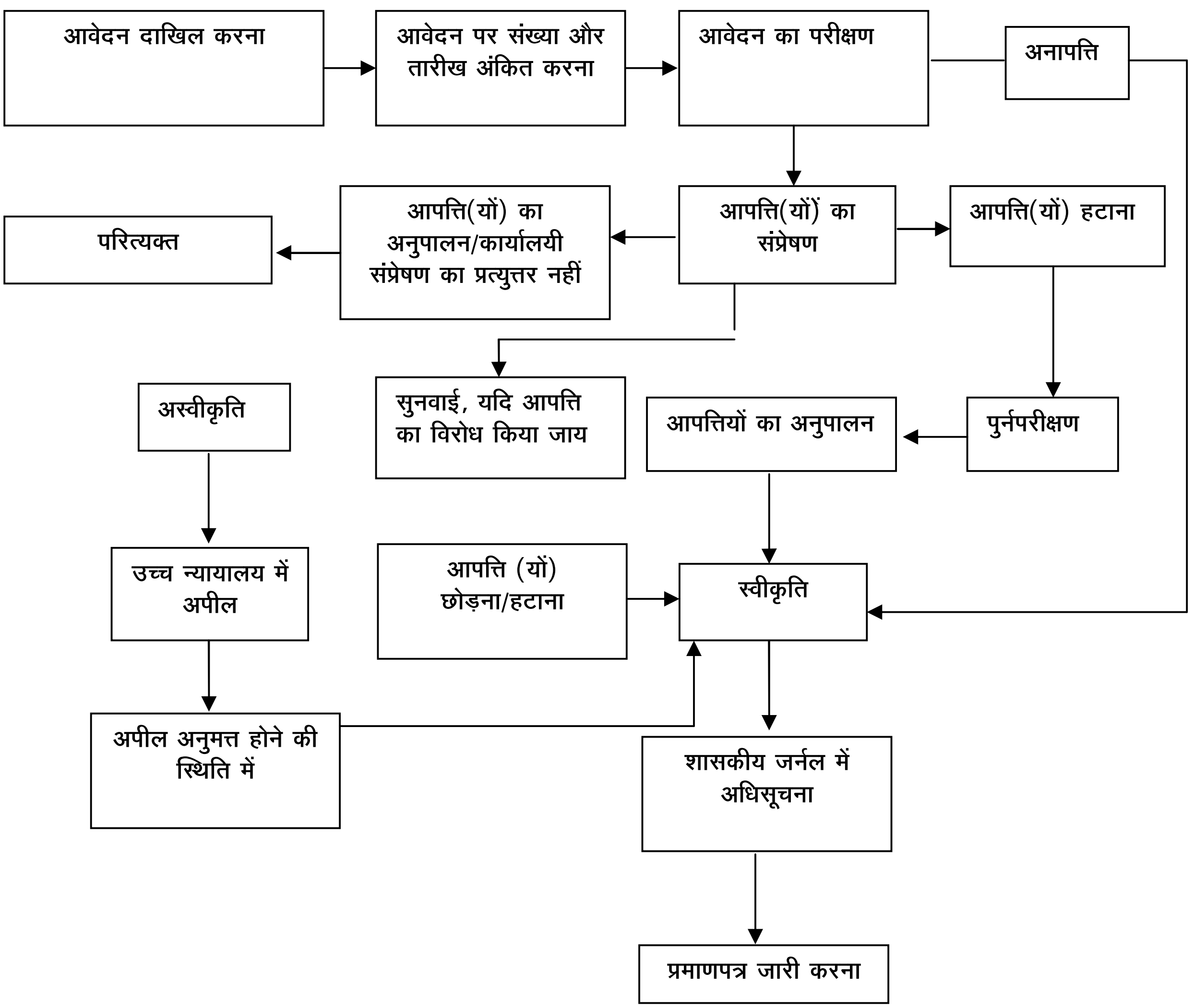

डिजाइन अधिनियम, 2000 व नियम, 2001 के तहत विहित समय

क्र.सं.	कार्य	धारा/नियम	फार्म	विहित समय
01	(क) पेरिस कन्वेंशन/विश्व व्यापार संगठन के तहत प्रायिकता तिथि का दावा करते हुए डिजाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (ख) प्रायिकता दस्तावेज की सत्यापित प्रति की फाइलिंग	धारा 44(1)(क) नियम 15(2) 44(1)(क)	फार्म 1 फार्म 18	देश में पेरिस कन्वेंशन/विश्व व्यापार संगठन के तहत प्रथम फाइलिंग की तिथि के 6 माह के भीतर आवेदन के साथ या फाइलिंग तिथि से 3 महीने के भीतर
02	समनुदेशन के पंजीकरण या स्वामीत्व परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन	धारा 430(3)	फार्म 10	समनुदेशन/लिखित के निष्पादन की तिथि से 6 महीने के भीतर। पुन: 6 महीने का विस्तान उपलब्ध
03	अभिग्रहण हेतु आवेदन तैयार करने के लिए सभी आवश्यकताओं का अनुपालन	नियम 18(1)	-	फाइलिंग की तिथि से 6 महीने के भीतर
04	कॉपीराईट की अवधि में 5 वर्ष के विस्तार के लिए आवेदन	धारा 11(2)	फार्म 3	प्रारंभिक 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पहले
05	कॉपीराईट के विस्तार हेतु शुल्क अदायगी न होने पर व्यपगत डिजाइन के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन	धारा	फार्म 4	समापित की तिथि के 1 वर्ष के भीतर
06	(क) पंजीकरण के निरस्तीकरण के लिए याचिका (ख) नियंत्रक के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील/हवाला	नियम 29 धारा 19(1)	फार्म 8	कापीराईट अवधि के दौरान किसी भी समय -तदैव-
07	डिजाइन के प्रथम प्रदर्शनी के बाद पंजीकरण हेतु आवेदन	धारा 21(ख)	-	प्रदर्शनी की तिथि से 6 महीने के भीतर
08	डिजाइन को पंजीकृत न करने संबंधी नियंत्रक के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील	धारा 21(ख)	-	नियंत्रक के निर्णय से 3 महीने के भीतर
09	पंजीकरण के पहले आवेदक का प्रतिस्थापन	धारा 8(1)	-	पंजीकरण के पहले की अवधि के दौरान
10	मूल दस्तावेजों की फाइलिंग जहाँ उसके अनुरूप दस्तावेज पहले ही ई-मेल/टेलिफैक्स से भेज दी गई हो	नियम 3(1)		टेलिफैक्स/ई-मेल की तिथि से 15 दिनों के भीतर

11	डिजाइन रजिस्टर में नाम, पता एवं सेवार्थ पते को बदलने का अनुरोध	नियम 31	फार्म 22	कोई समय प्राविहित नहीं
12	नियम 47 के तहत प्रदत्त समय का विस्तार	नियम 47	-	-

निम्नलिखित कार्यवाहियों के लिए कोई समय-सीमा प्राविहित नहीं की गई है- (1) पंजीकृत डिजाइन/डिजाइन रजिस्टर के निरीक्षण हेतु आवेदन (2) कानूनी उद्देश्य हेतु आवश्यक किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति के लिए आवेदन (3) अन्वेषण के बाद सूचना हेतु अनुरोघ।

विश्व आवेदन संगठन के सदस्य देश

अल्बानिया	कोस्टारिका	गायनी बिसाउ
अंगोला	कोटड इवोयर	गायनी
एन्टीगुआ व बारबुदा	क्रोएशिया	गुआना
अर्जेण्टिना	क्यूबा	हैती
अर्मेनिया	साइप्रस	होन्डुरस
आस्ट्रेलिया	चेक गणराज्य	हाँग-काँग, चीन
आस्ट्रिया	काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य	हंगरी
बहरीन	डेनमार्क	आइसलैंड
बंगलादेश	डिबोटी	इंडिया
बारबाडोस	डोमेनिका	इंडोनेशिया
बेल्जियम	डोमेनिकन गणराज्य	आयरलैंड
बेलाइज	इक्वाडोर	इजराइल
बेनिन	इगप्ट	इटली
बोलिविया	अल सल्बाडोर	जमैका
बोल्सवाना	स्टोनिया	जापान
ब्राजील	युरोपियन समुदाय	जॉर्डन
ब्रुनेई दारूसलाम	फिजी	केन्या
बुल्गारिया	फिनलैंड	कोरिया गणराज्य
बुर्किना फासो	फार्मर युगोस्लाव	कुवैत
ब्रुन्डी	मसीडोनिया गणराज्य	किरगिल गणराज्य
कम्बोडिया	फ्रांस	लात्विया
कैमरून	गेबन	लेसोथो
कनाडा	द गाम्बिया	लिचेस्टिन
सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक	जॉर्जिया	लिथुआनिया
चैड	जर्मनी	लग्जमबर्ग
चीली	घाना	मकाओ, चीन
चीन	ग्रीस	मेडागास्कर
कोलम्बिया	ग्रेनेडा	मलवी
कांगो	ग्वाटेमाला	

मलेशिया मालदीव माली माल्टा मॉरिटेनिया मारीशस मैक्सिको मोल्डोवा मंगोलिया मोरक्को मोजाम्बिक म्यनमार नामिबिया नेपाल नीदरलैंड्स न्यूजीलैंड निकारागुआ नाइजर नाइजिरिया नार्वे ओमान पाकिस्तान पनामा	पापुआ न्यू गिनीया पराग्वे पेरू फिलिपिन्स पोलेंड पूर्तगाल कतर रोमानिया रवान्डा सेंट किट्स एवं नेविस सेंट लुसिया सेंट वेन्सेंट एवं द ग्रेन्डाईस सऊदी अरब सेनेगल सियरा लिओन सिंगापुर स्लोवाक गणराज्य स्लोवेनिया सोलोमन आइलैंड	दक्षिण अफ्रिका स्पेन श्रीलंका सुरीनाम स्वाजीलैंड स्वीडन स्वीटजरलैंड चाइनीज तैपे (ताइवान) तंजानिया थाईलेंड टोगो त्रिनिदाद एवं टोबैगो ट्यूनिशिया तुर्की उर्गेन्डा संयुक्त अरब अमीरात युनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका उरुग्वे वेनेजुएला वियतनाम जाम्बिया जिम्बाम्बे

(कुल : 150 सदस्य देश)

पेरिस कन्वेंशन में सम्मिलित देश

अल्बानिया अल्जिरिया अंडोरा एन्टीगुआ व बारबुदा अर्जेण्टिना अर्मेनिया आस्ट्रिया आस्ट्रेलिया अजरबैजान बहमास बहरीन बंगलादेश बारबाडोस बेलारूस बेल्जियम बेलाइज बेनिन भुटान बोलिविया बोस्निया व हर्जेगोविना बोल्सवाना ब्राजील बुल्गारिया बुर्किना फासो ब्रुन्डी कम्बोडिया कैमरून कनाडा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक चैड चीली	चीन कोलम्बिया कोमोरोस कांगो कोस्टारिका कोटड इवोयर क्रोएशिया क्यूबा साइप्रस चेक गणराज्य कोरिया गणराज्य के घरेलू लोग कॉंगो लोकतांत्रिक गणराज्य डेनमार्क डिबोटी डोमेनिका डोमेनिकन गणराज्य इक्वाडोर इगप्ट अल सल्बाडोर स्टोनिया फिनलैंड फ्रांस गेबन द गाम्बिया जॉर्जिया जर्मनी घाना ग्रीस ग्रेनेडा	ग्वाटेमाला गायनी बिसाउ गायनी गुआना हैती हॉली सी होन्डुरस हंगरी आइसलैंड इंडिया ईरान (इस्लामिक गणराज्य ऑफ) इराक आयरलैंड इजराइल इटली जमैका जापान जॉर्डन कजाखस्तान केन्या किरगिस्तान लाओ पिपुल्स लोकतांत्रिक गणराज्य लात्विया लेबनान लिसोथो लिवेरिया लिबियन अरब जमहिरिया लिचेन्सटिन

लिथुआनिया	फिलिपिन्स	सुरीनाम
लग्जमबर्ग	पोलेंड	स्वाजीलैंड
मेडागास्कर	पूर्तगाल	स्वीडन
मलवी	कतर	स्वीटजरलैंड
मलेशिया	कोरिया गणराज्य	कांगो
माली	रोमानिया	सीरियन अरब तजिकस्तान
माल्टा	रसियन फेडरेशन	द फार्मर युगोस्लाव
मॉरिटेनिया	रवान्डा	मसीडोनिया गणराज्य
मारीशस	सेंट किट्स एवं नेविस	टोगो
मैक्सिको	सेंट लुसिया	टोंगा
मालदीव	सेंट वेन्सेंट एवं द ग्रेन्डाईस	त्रिनिदाद एवं टोबैगो
मोनाको	सान मेरिनो	ट्यूनिशिया
मंगोलिया	सिरियन अरब रिपब्लिक	तुर्की
मोंटेन्गो	सऊदी अरब	तुर्कमेनिस्तान
मोरक्को	सेनेगल	उगेन्डा
मोजाम्बिक	सार्विया	उक्रेन
नामिबिया	सियाचीन	संयुक्त अरब अमीरात
नेपाल	सियरा लिओन	युनाइटेड किंगडम
नीदरलैंड्स	सिंगापुर	युनाइटेड किंगडम ऑफ
न्यूजीलैंड	स्लोवाकिया	तंजानिया
निकारागुआ	स्लोवेनिया	संयुक्त राज्य अमेरिका
नाइजर	दक्षिण अफ्रिका	उरुग्वे
नाइजिरिया	स्पेन	उज्वेकिस्तान
नार्वे	श्रीलंका	वेनेजुएला
ओमान	सुडान	वियतनाम
पाकिस्तान		यमन
पनामा		जाम्बिया
पापुआ न्यू गिनीया		जिम्बाम्बे
पराग्वे		
पेरू		

(कुल : 171 देश)

Carpet . Regn. No.199392

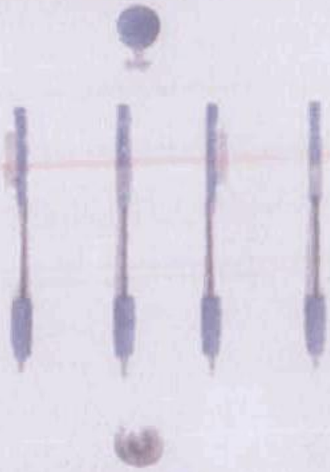

Pen . Regn. No.198790

Motor Cycle . Regn. No.198588

Tooth Brush . Regn. No. 191353

Storage Box . Regn. No. 203597

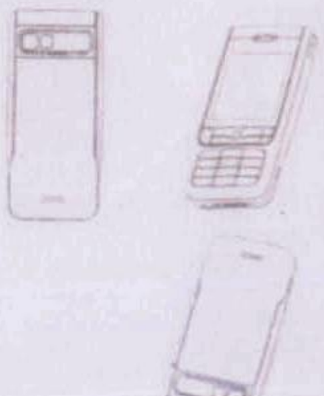

Mobile . Regn. No. 199275

शुल्क

संख्या (1)	निम्नलिखित पर संदेय (2)	फॉर्म सं. (3)	शुल्क (रुपए) (4)
1.	धारा 5 और 44 के अधीन डिजाइन के पंजीकरण के लिए आवेदन पर	1	1000.00
2.	आवेदक या संयुक्त आवेदक के रूप में कार्यवाही करने के लिए धारा 8(1) के अधीन दावा करने पर	2	500.00
3.	धारा 11(2) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के विस्तार के लिए आवेदन	3	2000.00
4.	धारा 12(2) के अधीन व्यपगत डिजाइन के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर	4	1000.00
5.	प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त शुल्क	--	1000.00
6.	धारा 17(1) के अधीन पंजीकृत डिजाइन का निरीक्षण	5	500.00
7.	जब रजिस्ट्रीकरण सं. दी गई हो तो डिजाइन की सूचना के लिए अनुरोध करने पर	6	500.00
8.	जब रजिस्ट्रीकरण सं. न दी गई हो तो डिजाइन की सूचना के लिए अनुरोध करने पर	7	1000.00
9.	धारा 19 के अधीन डिजाइन को निरस्त करने के लिए याचिका पर	8	1500.00
10.	धारा 21 के अधीन किसी अपंजीकृत डिजाइन के आशयित प्रदर्शन या प्रकाशन की सूचना	9	500.00
11.	धारा 30(3) के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में किसी दस्तावेज के पंजीकरण के लिए आवेदन -	10	
	एक डिजाइन के संबंध में		500.00
	प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए		200.00
12.	धारा 30 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर के स्वत्वधारी या आंशिक स्वत्वधारी के नाम की प्रविष्टि के लिए आवेदन पर	11	
	एक डिजाइन के संबंध में		500.00
	प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए		200.00

13.	धारा 30 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में बंधक या अनुज्ञप्ति की प्रविष्टि के लिए आवेदन पर प्रविष्टि के लिए आवेदन पर	12		
	एक डिजाइन के संबंध में		500.00	
	प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए		200.00	
14.	धारा 30 और नियम 37 के अधीन डिजाइन रजिस्टर में दस्तावेज की अधिसूचना की प्रविष्टि के लिए आवेदन	13		
	एक डिजाइन के संबंध में		500.00	
	प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए		200.00	
15.	धारा 29 के अधीन लिपिकीय त्रुटि के सुधार के लिए अनुरोध पर	14	500.00	
16.	धारा 26 और नियम 41 के अधीन प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध पर	15	500.00	
17.	धारा 17(2) के अधीन पंजीकृत डिजाइन की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन पर	16	500.00	
18.	धारा 31 के अधीन डिजाइन रजिस्टर के परिशोधन के लिए आवेदन पर	17	500.00	
19.	नियम 15 के अधीन प्रायिकता दस्तावेज फाइल करने के विस्तार के लिए आवेदन पर	18	200.00	प्रति माह
20.	नियम 40 के अधीन विरोध की सूचना पर	19	100.00	
21.	नियम 29 और 40 के अधीन सुनवाई में उपस्थित होने के लिए आशय की सूचना	20	500.00	
22.	अभिकर्त्ता या अन्य व्यक्ति के प्राधिकार के लिए प्ररूप	21		
23.	नियम 31 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में नाम या पता या सेवार्थ पता में परिवर्तन करने के लिए आवेदन	22	200.00	
24.	डिजाइन के रजिस्टर में दो पतों की प्रविष्टियों के लिए अनुरोध	23	200.00	
25.	किसी दस्तावेज के संशोधन के लिए नियम 46 के अधीन याचिका पर	--	500.00	
26.	समय बढ़ाने के लिए नियम 47 के अधीन याचिका	--	500.00	
27.	नियम 38 के अधीन डिजाइन रजिस्टर की जाँच (प्रत्येक डिजाइन के संदर्भ में)	--	250.00	

वर्गों की सूची (लोकानॉ वर्गीकरण)

वर्ग-1	खाद्य पदार्थ
वर्ग-2	पहनाया और बिसाती वस्तुएं
वर्ग-3	यात्रा के सामान, डिब्बे, छाते और वैयक्तिक सामान, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं।
वर्ग-4	ब्रुशवेयर
वर्ग-5	बुनाई हुई वस्तुएं, कढ़ाई
वर्ग-6	सामान
वर्ग-7	घरेलू वस्तुएं जो कहीं अन्य विनिर्दिष्ट नहीं हैं।
वर्ग-8	औजार और लोहे से निर्मित वस्तुएं
वर्ग-9	माल के परिवहन और उसकी उठाई-धराई के लिए पैकेज और आधान
वर्ग-10	क्लॉक और कलाई घड़ियाँ तथा अन्य मापक उपकरण, जांच और संकेत उपकरण
वर्ग-11	अलंकरण की वस्तुएं
वर्ग-12	परिवहन या उत्तोलन के साधन
वर्ग-13	विद्युत के उत्पादन, वितरण या पारेषण के लिए उपस्कर
वर्ग-14	रिकाडिंग, संचार या सूचना पुनः प्राप्ति के लिए उपस्कर
वर्ग-15	मशीनें जो अन्यत्र कहीं विनिर्दिष्ट नहीं हैं।
वर्ग-16	छाया चित्रण, चलचित्र संबंधी और दृष्टि विज्ञान संबंधी उपकरण
वर्ग-17	संगीत संबंधी उपस्कर
वर्ग-18	मुद्रण और कार्यालय मशीनरी
वर्ग-19	लेखन सामग्री और कार्यालय उपस्कर, कलाकार के और शिक्षण संबंधी सामग्री

वर्ग-20	विक्रय और उपस्कर चिह्न
वर्ग-21	खेल, खिलौने, शिविर और खेल का सामान
वर्ग-22	आयुध, आतिशबाजी की वस्तुएं, आखेट, मतस्य ग्रहण, जीवनाशी के लिए वस्तुएं
वर्ग-23	तरल वितरण उपस्कर सफाई, तापन, संवातन और वायुनुकूलित उपस्कर ठोस ईंधन
वर्ग-24	आयुर्विज्ञान और प्रयोगशाला उपस्कर
वर्ग-25	भवन निर्माण इकाईयां और संनिर्माण तत्व
वर्ग-26	प्रकाश के साधित्र
वर्ग-27	तम्बाकू और धूम्रपानकर्त्ता के प्रदाय
वर्ग-28	औषधीय और प्रसाधन उत्पाद, प्रसाधन और उपस्कर
वर्ग-29	अग्नि आपदा के विरुद्ध दुर्घटना रोधी और बचाव की युक्तियां और उपस्कर
वर्ग-30	पशु के देख रेख और हैंडलिंग की वस्तुएं
वर्ग-31	खाद्य या पेय तैयार करने के लिए मशीनें और उपकरण जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।
वर्ग-99	प्रकीर्ण

प्ररूप 1

फीस रू.1000/-

डिजाइन के पंजीकरण के लिए आवेदन, धारा 5 और 44

1.	वर्ग की संख्या लिखिए।	आप से अनुरोध है कि संलग्नक को वर्ग सं.[1] ____
2.	पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखिए	के नाम से [2] ____________________________________ स्वत्वधारी(यों) होने कादावा करता है (करते हैं) पंजीकृत करें
3.	बताएं कि रेखाचित्र फोटो चित्र, अनुरेखण या नमूनों में से क्या दिया गया है।	इस अनुरोध के साथ डिजाइन के वैसे ही[3] __________________लगाएं।
4.	वस्तु या वस्तुओं के नाम जिनको डिजाइन लागू किया जाना है या संवर्ग में अंतर्विष्ट प्रत्येक वस्तु का विवरण बताएं।	डिजाइन[4]-- --- --- को लागू किया जाना है।
5.	इन शब्दों को काट दें यदि पूर्व में पंजीकृत किया गया है।	डिजाइन[5] वर्ग (वर्गों) में सं. के अधीन------------------------ ----------------------पूर्वतन पंजीकृत है। यूनाइटेड किंगडम या अभिसमय देश या देशों के समूह या अन्तरशासकीय संगठन में किए गए पहले आवेदन के ब्यौरे। (i) देश का नाम। (ii) शासकीय तारीख1 (iii) शासकीय संख्यांक।
6.	जब तक भारत में तामील के लिए पता नहीं दिया गया है, तब तक अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता।	भारत में तामील के लिए पता[6] निम्नलिखित है- -- घोषणा- आवेदक डिजाइन के स्वत्वधारी होने का और उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार डिजाइन नया या मूल हैं।
7.	आवेदक या प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।	____________________________________तारीख 2001 (हस्ताक्षरित)[7] _________________________________

सेवा में,
नियंत्रक, डिजाइन
पेटेंट कार्यालय, कोलकाता

प्ररूप 3

फीस 2000/-रूपए

डिजाइन अधिनियम, 2000

प्रतिलिप्यधिकार के विस्तार हेतु आवेदन

धारा 11

डिजाइन संख्यांक भरें।	आपसे, अद्योहस्ताक्षरी जो वर्ग सं.[1] ____________________मैं रजिस्ट्रीकृत डिजाइन संख्याक[2] ______________________का रजिस्ट्रकृत स्वत्वधारी हैं (हैं), आपसे पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिलिप्यधिकार की अवधि का विस्तार करने का अनुरोध करता है/करते हैं।
वर्ग भरें।	भारत में सेवार्थ पता[b] निम्नलिखित है:- ____ ____ ____
	तारीख ________________ ________________ मास वर्ष __________________
आवेदक या प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।	(हस्ताक्षरित)[2] ____________________________________

सेवा में,
नियंत्रक, डिजाइन
पेटेंट कार्यालय, कोलकाता

टिप्पण

टिप्पण

टिप्पण

टिप्पण

2008 में यथा संशोधित डिजाइन नियम, 2001 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- शासकीय राजपत्र के स्थान पर पेटेंट कार्यालय जर्नल में अधिसूचना।
- निरस्तीकरण प्रक्रिया की समयावधि में कमी।
- इलेक्ट्रॉनिक मेल या फैक्स को दस्तावेज के रूप में प्राप्त करने का प्रावधान।
- डिजाइन पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए पाँचवीं अनुसूची की समाविष्टि।
- डिजाइन की स्वीकृति के लिए वैधानिक समय सीमा को छ: महीने के बाद फार्म 18 दाखिल कर अधिकतम तीन महीने तक बढ़ाया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाइलिंग और भुगतान का प्रावधान।
- निरूपण को कम्प्यूटर ग्राफिक्स के रूप में दाखिल किया जा सकता है।
- डिजीटल हस्ताक्षर के प्रावधान का समावेश।
- हाल के लोकार्नो वर्गीकरण (सातवाँ संस्करण) के अनुसार तृतीय अनुसूची में वस्तुओं के पुनरीक्षित वर्गीकरण का समावेश।

औद्योगिक डिजाइन पर सूचना हेतु Looking Good: An Introduction to Industrial Design for Small and Medium-sized Enterprises शीर्षक वाइपो प्रकाशन का उद्धरण लिया जा सकता है, जिसे वाइपो लिंक **http://www.wipoint/freepub!ications/en/sme/498/ wipo_pub~ 498.pa** से भी देखा जा सकता है।